

सही प्रतिलिपि

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

जमाबन्दी गांव : लूनी
तहसील : लूनी
सम्बन्ध : 2060-68
क्षेत्रफल : क्षेत्रफल बीघा बिस्वा में

पटवार क्षेत्र : बोरगाव
जिला : जोधपुर
वास्तविक सम्बन्ध :

मू-अमितेव निरीक्षक :
दिनांक :

प्रपत्र पी-26
पृष्ठ नं. जमा. :

खेदत (वर्तनी)		भूमि धारक का नाम	कायदाकार का नाम पिता जाति तथा निवास स्थान के पता सहित तथा कृषि कार्य	उत्तरा नं.	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	देय लगान दर	देय लगान	नामानकरण आदेश न. तथा तारीख	भूमि क्षेत्र विवरण जिसके पक्ष में भूमि अन्वेषित हो	दिखाया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	162	राज.सरकार	मंगलाराम देरामपि. लूनीथाराज मीमा बेवा जंगाराम, किशनाराम पि. गंगाराम जाते जाट रा. देह खेतदार	89 95 114 3	43.16 31.16 31.06 106.18	का I का I का I का I	- - - -	- - 474 46.74	- -	ना.स. 661 दि. 20/8/85 केवान खस्ता न. 114 में मवरी देवी पत्नी शमेश्वर दास जाते देवराव नि. पाक बागापी खुआ देवी पत्नी खस्ता राम जाते फलपत मि. पाल रवतदात्र वि. नं. 114/1 रकबा 12.00 का I लगान 5.25 दर्ज हुआ / व्य. रक्खे की नोच भूमी 19.06 का I व नोच खसरे करसूत्र रहे। = ना.स. 690 केवान दि. 5.3.06 से मात्री देवी पत्नी नारायणराम जाते पलेक नि. A-11 रा. लूनी नगर जोधपुर रवतदात्र वि. नं. 114/1 रकबा 12.00 बीघा फिटम का I लगान 5.25 दर्ज हुआ। 20/10/85		
			= ना.स. 806 केवान दि. 20/12/07 से देवी पी. जाते मित्तम जाते पाकीका विवाहि 20/3/20 चो. हा. नोउ जोधपुर खातेदार र. नं. 114/1 रकबा 5.00 बीघा कारानी I लगान 2.19 (2) देवी पी. जोधपुर उमर कीच मेरुका विवाही नागोरी अर के बाहर राम मोरल्ल जोधपुर रवतदात्र र. नं. 114/2 रकबा 7.00 बीघा कारानी I लगान 3.06 दर्ज हुआ। = ना.स. 849 केवान 20/10/08 के अंडलार र. नं. 114/2 रकबा 7.00 बीघा का I लगान 3.06 केकेवा उर्फ पुरवाज पुत जोरखाम जाते मेवाका विवाही नौलरी पोक महाभा देह जोधपुर रवतदात्र दर्ज 20/10/85									

सही प्रतिलिपि
P-35 क्र. 1342 दि. 01/10/10

31-06

सही प्रतिलिपि
P-35 क. 1342 दि. 01/10/10

पटवारी (भू-अ.) बोरगाव

{ नियम 7 (1) देखिए }

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय

मामला सं. 4/2010

और वर्ष 2010

1. श्री ककैया उर्फ पुखराज पुत्र श्री गौरखराम, श्रीमति देवी पत्नि श्री गोपीकिशन
महामन्दिर तीसरी पोल एवं चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जिला जोधपुर

..... आवेदक

विषय :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन
कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 27/8/2012

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:-

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:-

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं	क्षेत्र
जिला जोधपुर	बोरानाडा	114/1,	5 बीघा
तहसील लूणी		114/2	7 बीघा

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है। वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा उक्त कृषि भूमि का मास्टर प्लान में भू-उपयोग आवासीय बताया है तथा संपरिवर्तन के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। ले-आउट प्लान कमेटी की बैठक दिनांक 20.10.2011 के निर्णय से उपरोक्त आराजी के उपरोक्त नियमन की स्वीकृति दी

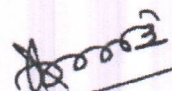
उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

ले-आउट अनुमोदित किया गया।

69

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा सं. 114/1, 114/2 रकबा 12 बीघा की ग्राम बोरानाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आबंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 22/8/2012 को पारित किया गया।


उपमुख्यतदक्षिण
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर
जोधपुर

सं. 20/12/823 - 825

दिनांक 22/8/2012

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी-

1. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. तहसीलदार, जोधपुर तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. श्री ककैया उर्फ पुखराज पुत्र श्री गौरखराम, श्रीमति देवी पत्नि श्री गोपीकिशन, महामन्दिर तीसरी पोल एवं चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जिला जोधपुर।


उपमुख्यतदक्षिण
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर
27.8.12



835458

प्रारूप संख्या 6
FORM NO. 6

राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

Directorate of Economics & Statistics

रजिस्ट्रार - एम्स जोधपुर, जोधपुर

Registrar - AIIMS Jodhpur, JODHPUR

मृत्यु प्रमाण पत्र

DEATH CERTIFICATE

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 और राजस्थान जन्म और मृत्यु

रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 8/13 के अधीन जारी किया गया)

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the Rajasthan Registration of Births and Deaths Rules, 2000)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गयी है जो कि (स्थानीय क्षेत्र / स्थानीय निकाय) एम्स जोधपुर तहसील/खण्ड XXXX जिला जोधपुर राज्य/संघ राज्य राजस्थान, भारत का रजिस्टर है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of death which is the register for (Local area / Local body) AIIMS JODHPUR of Tehsil / Block XXXX of District JODHPUR of State / Union Territory Rajasthan, India.

नाम/Name: देवी / devi

लिंग/Sex: महिला/FEMALE

मृतक का आधार नंबर/Deceased Aadhar No: 9876

मृत्यु का स्थान/Place of Death:

मृत्यु की तिथि/Date of Death: 27/11/2024

एम्स अस्पताल जोधपुर

माता का नाम/Name of Mother: राधा देवी / RADHA DEVI

AIIMS JODHPUR

माता का आधार नंबर/Mother Aadhar No:

पिता का नाम/Name of Father: मूला राम / MOOLA RAM

पिता का आधार नंबर/Father Aadhar No:

पति/पत्नी का नाम/Name of Husband/Wife: गोपी किशन पालीवाल / GOPI KISHAN PALIWAL

पति/पत्नी का आधार नंबर/Husband/Wife Aadhar No:

मृतक का मृत्यु के समय का पता:

मृतक का स्थायी पता :

Address of Deceased at the time of death: 20/320,

Permanent Address of the deceased:

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड , जोधपुर , राजस्थान 342008 /

20/320, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड , जोधपुर , राजस्थान

20/320, CHOPASANI HOUSING BOARD,

342008 / 20/320, CHOPASANI HOUSING

JODHPUR, RAJASTHAN 342008

BOARD, JODHPUR, RAJASTHAN 342008

रजिस्ट्रीकरण संख्या/Registration No:

रजिस्ट्रीकरण की तारीख/Date of Registration

08113006000044501861 / 2024

29/11/2024

टिप्पणी/Remarks If Any:

जारी करने की तारीख/Date of Issue : 06/12/2024

Signature valid

Digitally signed by
DEEPAK KUMAR
JH
Date: 2024.12.06

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of issuing authority

राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के परिपत्र क्रमांक एक 13/1/39/वीएस/डीईएस/2013/22519 दिनांक 02.06.2015 के द्वारा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

Use of Digital Signature for issuing birth and death certificate is recognized by Economics and Statistics Department, Government of Rajasthan vide circular number F13/1/39/VS/DES/2013/22519 Dated 02.06.2015.

Software Courtesy National Informatics Centre (NIC), Rajasthan

Certificate can be tracked on <https://pehchan.raj.nic.in>

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-IV

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 08-09-2025 3:19 PM

Fee Receipt No	: 202502054020390	Receipt Date	: 08/09/2025
Name	: SMT BRAJLATA ,	Document S. No.	: 202501054020200
Address	: 18 290 ,CHOUPASANI HOUSING BOARD ,JODHPUR ,JODHPUR		
Document Type	: Release Deed		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 5540343
Ord-Registration Fee	: ₹ 500	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 150	Stamp Duty	: ₹ 500
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
SiteInspection Fees	: 0	Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 1450
		Total Amount	: ₹ 1450

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 110307999 ₹ 1450

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

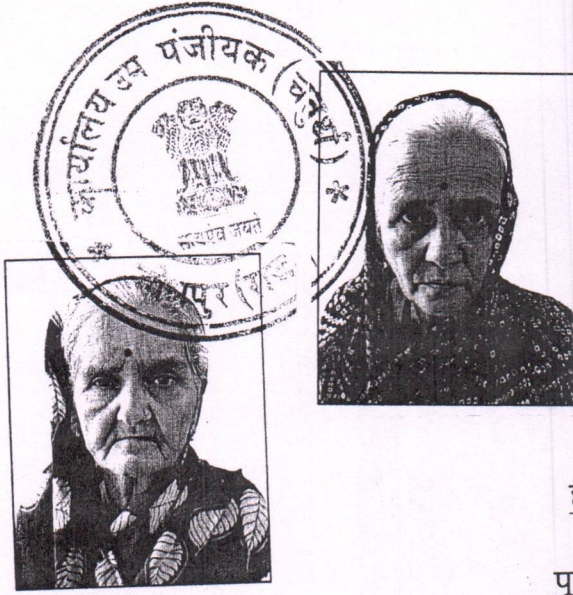


*Rebate U/S 9(1) : ₹ 82606

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर



हकतर्कनामा

पुश्तैनी सम्पति

हकतर्कनामा का दस्तावेज आज बमुकाम जोधपुर में एक लिख देते हैं कि

हम :-

- 1- श्रीमती ब्रजलता पुत्री स्व. श्री गोपी किशन पत्नी श्री प्रेमचन्द जाति-पालीवाल ब्राहमण, उम्र 63 वर्ष, निवासी-मकान संख्या 18/290 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर राजस्थान एवं आधार संख्या-8469 8745 0706
- 2- श्रीमती सुशीला पुत्री स्व. श्री गोपी किशन जाति-पालीवाल ब्राहमण, उम्र 63 वर्ष, निवासी-मकान संख्या 20/320 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर राजस्थान आधार संख्या-2823 3253 3137

श्री अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री गोपी किशन जाति-पालीवाल ब्राहमण, उम्र-55 वर्ष निवासी-मकान संख्या 18/714 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर राजस्थान आधार संख्या-8279 3582 2161

जिन्हें इस दस्तावेज में प्रथम पक्षकार संख्या 01 से 03 यानि हकतर्ककर्ता के नाम से सम्बोधित किय जायेगा ने



सुशीला



R. J. Jodhpur



लिख देता



ब ह क

आप श्री राजेन्द्र कुमार पालीवाल पुत्र स्व. श्री गोपी किशन पालीवाल उम्र-54 वर्ष, जाति-पालीवाल ब्राहमण, निवासी-मकान संख्या 20/320 सेक्टर 20 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर राजस्थान में रहने वाला जिन्हें इस हकतर्कनामा में द्वितीय पक्षकार यानि हकतर्क ग्रहिता के नाम से सम्बोधित किया जायेगा, के हक में निम्न प्रकार से तहरीर व तकमील कर देते हैं। कि हम :-

आधार संख्या-3902 4484 0032

संक्षेपित विवरण :-

यह है कि श्रीमती देवी पत्नी स्व. श्री गोपीकिशन पालीवाल की निजी आय से खरीद सुदा, कब्जा सुदा, रजिस्टर्ड सुदा, कब्जा सुदा, मालिकाना हक, हकुक, स्वामित्व, अधिकार की खातेदारी भूमि कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ वाके ग्राम बोरानाड़ा के खसरा संख्या-114/1 रकबा 5 बीघा यानी क्षेत्रफल-0.8094 हैक्टरयर तहसील झंवर जिला जोधपुर राज्य राजस्थान में आया हुआ ।

यह है कि श्रीमती देवी पत्नी श्री गोपीकिशन जाति पालीवाल ब्राहमण ने ग्राम बोरानाड़ा के खसरा संख्या-114/1 रकबा 5 बीघा यानी क्षेत्रफल-0.8094 हैक्टरयर तहसील झंवर जिला जोधपुर राज्य राजस्थान जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजना के लिए आवेदन किया । जिस पर कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त खसरा संख्या-114/1 रकबा-5 बीघा भूमि अपने आदेश क्रम संख्या-49/90-बी/दक्षिण/10/1338 दिनांक-08-11-2020 को विधिक रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्टों के आधार पर कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 20-10-2011 का कार्यवाही विवरण के आदेश क्रमांक-एफ-37/निदे-आयो/ले-आउट/2011/1224 दिनांक 25.11.2011 को कार्यवाही की गई जिसमें उपरोक्त खसरा संख्या-114/1 रकबा-5 बीघा भूमि को कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ में भू-उपयोग में परिवर्तन किया गया । तथा गार्ड पत्रावली संख्या-4/2010 पर इन्द्राज ।



सिद्धांत

सुशिला

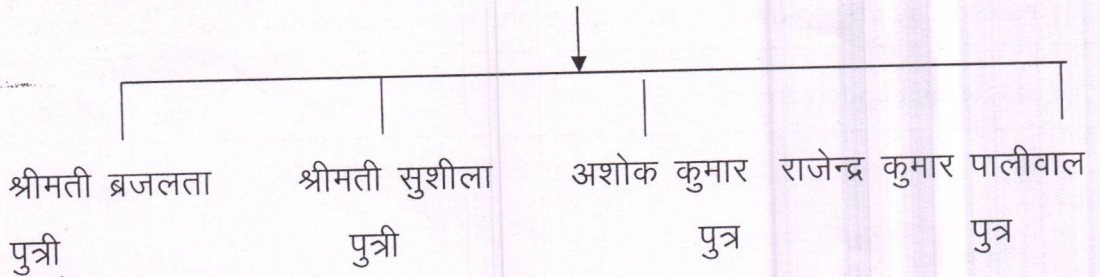
8/11/2011

R. Jodhpur

यह है कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के पिता गोपी किशन पालीवाल का स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है तथा माता श्रीमती देवी पत्नी स्व. श्री गोपी किशन जाति-पालीवाल ब्राह्मण का स्वर्गवास दिनांक-27-11-2024 को हो चुका है जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम दक्षिण, जोधपुर द्वारा दिनांक-06-12-2024 को जारी किया गया उनके प्रथम वारिसानों में प्रथम पक्षकार संख्या-01 से 03 यानी भाई बहन एवं आप द्वितीय पक्षकार पुत्र है इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है ।

यह है कि श्रीमती देवी पत्नी स्व. श्री गोपी किशन जी पालीवाल के प्रथम वारिसानों का सर्जरा इस प्रकार है कि :-

स्व0 श्रीमती देवी पत्नी स्व. श्री गोपी किशन जी पालीवाल-फौत



यह है कि उपरोक्त खातेदारी भूमि ग्राम बोरानाड़ा के खसरा संख्या-114/1 रकबा 5 बीघा कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूप में कार्यालय जोधपुर प्राधिकरण, जोधपुर के हक में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है ।

यह है कि कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ वाके ग्राम बोरानाड़ा के खसरा संख्या-114/1 रकबा 5 बीघा यानी क्षेत्रफल-0.8094 हैक्टर तहसील झंवर जिला जोधपुर राज्य राजस्थान आया हुआ एवं स्थित है जो कि स्व. श्रीमती देवी पत्नी स्व. श्री गोपी किशन पालीवाल के हक आई हुई है तथा उनका स्वर्गवास होने से हम प्रथम पक्षकार एवं आप द्वितीय पक्षकार का हिस्सा बराबर है ।

उपरोक्त कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ वाके ग्राम बोरानाड़ा के खसरा संख्या-114/1 रकबा 5 बीघा यानी क्षेत्रफल-0.8094 हैक्टर तहसील झंवर जिला जोधपुर राज्य राजस्थान जो कि इस हकतर्कनामा के जरिये बिना प्रतिफल के आप द्वितीय पक्षकार हकतर्कग्रहिता के हक में हकत्याग कर दिया है तत्पश्चात से हम प्रथम पक्षकार संख्या 01 से 3 का कोई हक, हिस्सा, वास्ता, नहीं रहेगा अब आप द्वितीय पक्षकार हकतर्क ग्रहिता के स्वामित्व, अधिकार, कृषि भूमि से आवासीय



दिनांक 12/11



सुशीला



R. Subudh



Signature

Presentation Endorsement

Print Date: 9/8/2025 3:37:13 PM

आज दिनांक 08 माह 09 सन् 2025 को 03:12 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SMT BRAJLATA पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री DOUGHTER OF
GOPIKISHAN JI WIFE OF PREM CHAND
उम्र 63 वर्ष, जाति 0-PALI WAL BRAHMAN , व्यवसाय Housewife
निवासी House No.: 18 290, Colony: CHOUPASANI HOUSING
BOARD, Area: CHOUPASANI HOUSING BOARD, City: JODHPUR,
Pin code: 342008, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202501054020200

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-IV

Release Deed by co-owners, co-sharers and coparceners- (a) in respect of ancestral property

उप पंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर

Fees Receipt Endorsement

Print Date: 9/8/2025 3:37:13 PM

रसीद नं.	202502054020390
दिनांक	08-09-2025
पंजीयन शुल्क ₹	500
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	500
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	150
मौका निरीक्षण शुल्क ₹	0
कुल योग	1450

202501054020200

Release Deed by co-owners, co-sharers and coparceners- (a) in respect of ancestral property

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 110307999 ₹ 1450

उप पंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर JODHPUR-IV

Endorsement of Execution

Print Date: 9/8/2025 3:37:13 PM



प्रयोजनार्थ वाके ग्राम बोरानाड़ा के खसरा संख्या-114/1 रकबा 5 बीघा यानी क्षेत्रफल-0.8094 हैक्टरयर तहसील झंवर जिला जोधपुर राज्य राजस्थान में रहेगा जिसमें अब हमारे द्वारा एवं हमारे वली वारिसान के द्वारा कभी भी किसी प्रकार का वाद, विवाद या मुकदमा इत्यादि नहीं किया जायेगा ।

यह है कि कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ वाके ग्राम बोरानाड़ा के खसरा संख्या-114/1 रकबा 5 बीघा यानी क्षेत्रफल-0.8094 हैक्टरयर तहसील झंवर जिला जोधपुर राज्य राजस्थान के मुतलिक आप द्वितीय पक्षकार को हकतर्क कर दिया है जिसे अब भविष्य में उपरोक्त ले-आउट के अनुसार कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में अपने नाम से पट्टा हेतु आवेदन कर सकेंगे तथा नियमानुसार पट्टा हासिल कर सकेंगे जिसे आगे आप द्वितीय पक्षकार हर प्रकार से उपयोग एवं उपभोग कर सकेंगे ।

यह है कि हम प्रथम पक्षकार यानि हकतर्क ग्रहिता ने बिना प्रतिफल के अपने सम्पूर्ण बंट, निहित हिस्से को हकतर्क किया है जिसे समस्त दस्तावेज असल फोटो कॉपी आप द्वितीय पक्षकार के पास ही है तथा हमारे पास यदि कोई दस्तावेज यदि मिलेगे तो आपके हकों के विरुद्ध बे असर समझे जायेगे ।

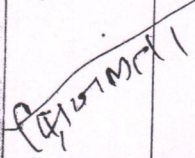
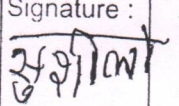
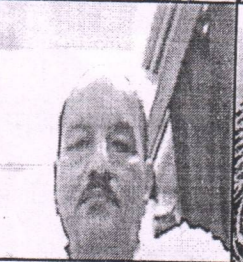
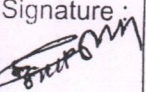
यह है कि हम प्रथम पक्षकार यानि हकतर्कग्रहिता यानी द्वितीय पक्षकार को पूर्ण यकीन व विश्वास दिलाते है उक्त सम्पति में से सम्पूर्ण निहित हिस्से को हकतर्क किया गया है जिसे पूर्व में हम प्रथम पक्षकार ने अन्य किसी को बेचान, बेचान इकरार, सहमति, बंट, या रहननामा, आईवाल, भोगलावा इत्यादि नहीं किया है न ही उक्त कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ वाके ग्राम बोरानाड़ा के खसरा संख्या-114/1 रकबा 5 बीघा यानी क्षेत्रफल-0.8094 हैक्टरयर तहसील झंवर जिला जोधपुर राज्य राजस्थान बाबत किसी प्रकार से किसी भी संस्थान से ऋण नहीं लिया है न ही कोई वाद विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है यानि हकतर्क की जा रही सम्पति पुष्टतैनी है तथा हकतर्क की जा रही सम्पति हर प्रकार से पाक व साफ है । इस बाबत आप द्वितीय पक्षकार को पूर्ण यकीन व विश्वास दिलाते है कि हकतर्कनामा का अक्षर अक्षर हमने पढ़ लिया है जो सही है ।

लिहाजा हकतर्कनामा हम प्रथम पक्षकार संख्या 01 से 03 आप द्वितीय पक्षकार के बिना किसी नशे पते एवं अक्ल होशियारी के सोच समझकर पढ़कर सुनकर

सुधीता

12-01-2011

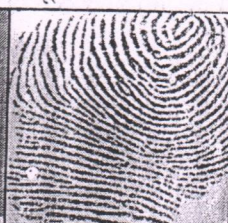
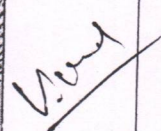
8/11/2011

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री SMT BRAJLATA , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री DOUGHTER OF GOPIKISHAN JI WIFE OF PREM CHAND, व्यवसाय Housewife जाति 0-PALI WAL BRAHMAN House No.: 18 290, Colony: CHOUPASANI HOUSING BOARD, Area: CHOUPASANI HOUSING BOARD, City: JODHPUR, Pin code: 342008, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 63 Signature : 
2 श्री/श्रीमती/सुश्री SUSHILA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री DOUGHTER OF GOPIKISHAN JI, व्यवसाय Housewife जाति 0-PALI WAL BRAHMAN House No.: 20 320, Colony: CHOUPASANI HOUSING BOARD, Area: CHOUPASANI HOUSING BOARD, City: JODHPUR, Pin code: 342008, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 57 Signature : 
3 श्री/श्रीमती/सुश्री ASHOK KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SON OF GOPIKISHAN JI, व्यवसाय Business जाति 0-PALI WAL BRAHMAN House No.: 18 714, Colony: CHOUPASANI HOUSING BOARD, Area: CHOUPASANI HOUSING BOARD, City: JODHPUR, Pin code: 342008, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 55 Signature : 
4 श्री/श्रीमती/सुश्री RAJENDRA KUMAR PALIWAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SON OF GOPIKISHAN JI PALIWAL, व्यवसाय Business जाति 0-PALI WAL BRAHMAN House No.: 20 320, Colony: CHOUPASANI HOUSING BOARD, Area: CHOUPASANI HOUSING BOARD, City: JODHPUR, Pin code: 342008, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 54 Signature : 

ने लेख्यपत्र Release Deed by co-owners, co-sharers and coparceners- (a) in respect of ancestral property को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 0/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 0/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT ADV TH VIVEK KAMAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री AMRIT LAL JI जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No.: 00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342006, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature : 



उप पंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर

समझ कर नीचे वर्णित गवाहों के रुबरु के लिख दिया है जो वक्त जरूरत काम आवें।

प्रथम पक्षकार/हकतर्ककर्ता गण

ब्रजलाल

(श्रीमती ब्रजलाल)

सुशीला

(श्रीमती सुशीला)

अशोक कुमार

(अशोक कुमार)

राजेन्द्र कुमार पालीवाल

द्वितीय पक्षकार/हकतर्ककर्ता—

(श्री राजेन्द्र कुमार पालीवाल)

साख-01 मैं शेखर पुत्र श्री मुन्नालाल जाति-राजपूत, निवासी-मकान संख्या 49/264 वाके चोपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर राजस्थान का रहने वाला ने साख



शेखर



साख-02 मैं रमेश कुमावत पुत्र श्री मोहनलाल जाति-कुमावत, निवासी-डी-2, संतोषपुरा मसुरिया, जोधपुर राजस्थान का रहने वाला ने साख दी है।

रमेश



Under 54 Endorsement

Print Date: 9/9/2025 11:44:13 AM

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 5540343 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 500 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 500, सरचार्ज राशि 150 कुल रु 1150 रसीद संख्या 202502054020390 दिनांक 08-09-2025 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 500 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202501054020200

उप पंजीयक, JODHPUR-IV

उप पंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर

Release Deed by co-owners, co-sharers and coparceners- (a) in respect of ancestral property

Registration Endorsement

Print Date: 9/9/2025 11:44:13 AM

आज दिनांक 08/09/2025 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 738 में

पृष्ठ संख्या 32 क्रम संख्या 202503054115302 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2949 के

पृष्ठ संख्या 351 से 360 पर चस्पा किया गया।

202501054020200

उप पंजीयक, JODHPUR-IV

उप पंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर

Release Deed by co-owners, co-sharers and coparceners- (a) in respect of ancestral property





जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- धन्ना भगत नगर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2076-2079 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2022) से स्थायी

पटवार हल्का :- बोरानाडा

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भू.अभि.नि. :- बोरानाडा

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- झंवर

खाता संख्या नया :- 235

जिला :- जोधपुर

खाता संख्या पुराना :- 352

काश्तकार का नाम:-

1. जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
102/1	0.9712	गै.मु आवासीय.	0.9712	0.00		
102/2	0.9712	गै.मु आवासीय.	0.9712	0.00		
102/3	0.4532	गै.मु आवासीय.	0.4532	0.00		
112/1	1.3597	गै.मु आवासीय.	1.3597	0.00		
114/1	0.8094	गै.मु आवासीय.	0.8094	0.00		
114/2	1.1331	गै.मु आवासीय.	1.1331	0.00		
29	5.4228	गे.मु.गोचर	5.4228	0.00		
29/3	1.4811	गे.मु.गोचर	1.4811	0.00		
29/4	0.2833	गे.मु.गोचर	0.2833	0.00		
310/2	0.9227	गै.मु आवासीय.	0.9227	0.00		
316	2.8895	गै.मु आवासीय.	2.8895	0.00		
41	2.0344	गे.मु.गोचर	2.0344	0.00		
42	3.7717	गै.मु. तालाब	3.7717	0.00		
44	0.4856	गे.मु.औरण	0.4856	0.00		
45	1.6187	गै.मु आवासीय.	1.6187	0.00		
454/298	1.9101	गे.मु.गोचर	1.9101	0.00		
469/51	0.3723	गै.मु आवासीय.	0.3723	0.00		
60	0.8175	गे.मु.नाडी	0.8175	0.00		
69	1.9425	गै.मु आवासीय.	1.9425	0.00		
69/1	1.9425	गै.मु आवासीय.	1.9425	0.00		
69/2	1.4083	गै.मु आवासीय.	1.4083	0.00		
90/5	0.5180	गै.मु आवासीय.	0.5180	0.00		
90/6	1.0263	गै.मु आवासीय.	1.0263	0.00		
90/7	1.0263	गै.मु आवासीय.	1.0263	0.00		
90/8	0.3399	गै.मु आवासीय.	0.3399	0.00		
90/9	0.1700	गै.मु आवासीय.	0.1700	0.00		
कुल खसरे - 26	36.0813		36.0813	0.0000		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 19-Feb-2026



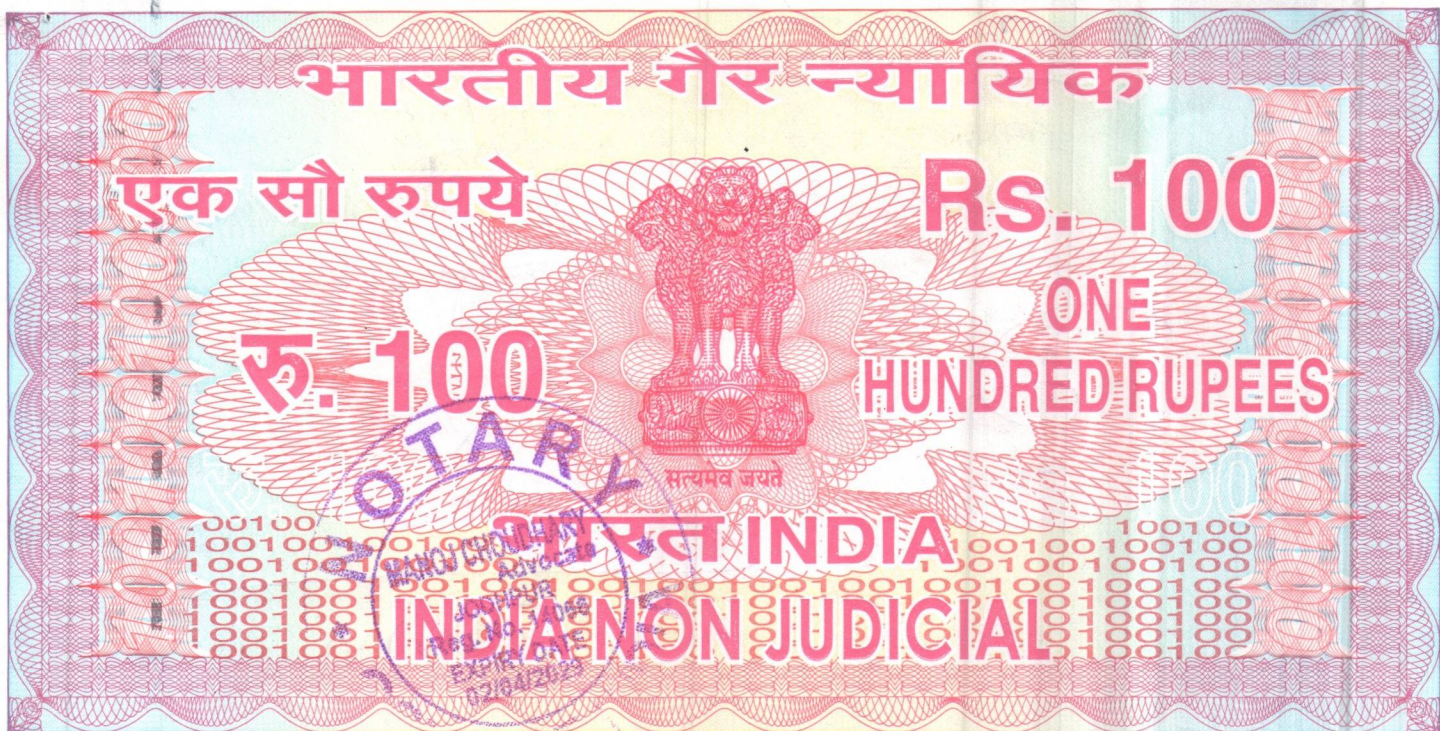
जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- धन्ना भगत नगर
पटवार हल्का :- बोरानाडा
भू.अभि.नि. :- बोरानाडा
तहसील :- झंवर
जिला :- जोधपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2076-2079 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2022) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 235
खाता संख्या पुराना :- 352





राजस्थान RAJASTHAN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BY 264548

This Memorandum of Understanding is being made and executed on this Day of Oct. 2025 at Jodhpur.

BETWEEN

1. **Rajendra Kumar Paliwal S/o Gopi Kishan Paliwal, Aged 54 years, Bycast Paliwal, R/o House no.-20/320, Sec. 20, Choupasni Housing Board, Nandanwan, Jodhpur, Distt Jodhpur, State Rajasthan** (hereinafter referred to as the "Landowner"), which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **First Part**;

And

2. **Kakiaya Alias Pukhraj S/o Ghorakh Ram R/o Shivpuri Meghwalo ka bass, Tisri Pol Mahamandir, Jodhpur, Distt. Jodhpur** (hereinafter referred to as the "Landowner"), which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **Second Part**

ATTESTED

NOTARY, JODHPUR

7/10/25

R. Paliwal

पुखराज

52105

7/10/25

ਮਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ / ਗਾਪੀ ਕਿਰਨ
ਦੀ ਪਾਸ ਨੀ ਜੋਦਾ ਪੁਰ

ਮਾ.

ਮਾ.

ਗੁਰਦਿਲ / ਹੀਰਾਪੁਰ

7/10/25

ਮਾ.

8094062100

ਮਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ / ਗਾਪੀ ਕਿਰਨ
ਦੀ ਪਾਸ ਨੀ ਜੋਦਾ ਪੁਰ

Whereas the above referred parties jointly owned a piece of Land **“RESIDENTIAL SCHEME Khasra No 114/1 and 114/2”** situated at Khasra No. 114/1, 114/2 of Village- Boranada, Tehsil -Luni, District- Jodhpur, State-Rajasthan.

NOW IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS FOLLOWS:

1. The project **“RESIDENTIAL SCHEME Khasra No 114/1 and 114/2”** situated at Khasra No. 114/1, 114/2 of Village- Boranada, Tehsil -Luni, District- Jodhpur, State-Rajasthan, shall be jointly developed by all the parties.
2. The Marketing and selling of the project shall be carried out by all the parties.
3. That, party to the First Part shall act as a Promoter and remaining parties shall act as the other promoter in the above referred project **“RESIDENTIAL SCHEME Khasra No 114/1 and 114/2”**.
4. That, party to the First Part shall sign all the documents related to RERA.
5. That, all the Rights and liabilities as imposed by the RERA Act shall be executed jointly by all the parties.

All the receipts/losses from the booking and sale of units in the **“RESIDENTIAL SCHEME Khasra No 114/1 and 114/2”** situated at Khasra No. 114/1, 114/2 of Village- Boranada, Tehsil -Luni, District- Jodhpur, State-Rajasthan” admeasuring **17131.94 Sqr Mtr.** shall be shared between the parties in ratio of their ownership.

S.no. S. No.	Name of Landowner	% of Ownership
1.	Mr. Rajendra kumar paliwal (Landowner and Promoter)	<u>41.66</u> %
2.	Mr.kakiaya Alias Pukhraj (Landowner and Other Promoter)	<u>58.34</u> %
TOTAL		100%

P. Rajwal

gates

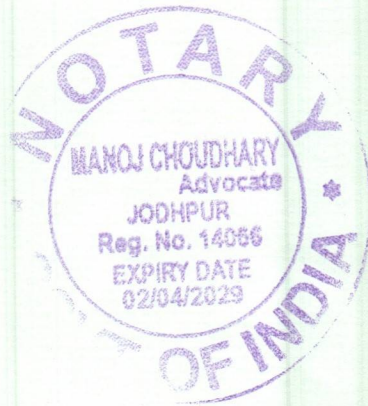
6. That three bank account shall be opened in the name of the party to the first part as promoter as provided in section 4(2)(1)(D) of the RERA Act.
7. That, if any contradiction arises or any loss or damage to any allottee arises in any manner in the future all the parties jointly takes responsibility to compensate for the same.

R. Paliwal

(Mr. Rajendra Kumar Paliwal)

Kakiya

(Mr. Kakiaya Alias Pukhraj)



ATTESTED

Manoj Choudhary
NOTARY JODHPUR
7/10/20